न्यायालय :- सेशन न्यायाधीश, धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :- संजीव मागो,

RJS (DJ Cadre)

सेशन प्रकरण सं.	64/2025	
CIS No. :	64/2025	

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, धौलपुर

....अभियोगी

वि-रू-द्ध

पारस पुत्र मुकेश उम्र 21 साल निवासी भमरौली हाल राधापुरम कोलोनी थाना निहालगंज, जिला धौलपुर (राज.)

...अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 307, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 64/2025 पुलिस थाना निहालगंज, जिला-धौलपुर

उपस्थितिः-
01. श्री भगवान सिंह नारौलिया, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से
02. श्री कान्ता प्रसाद शर्मा विद्वान अधिवक्ता, वास्ते अभियुक्त

	निर्णय	**दिनांक :12/03/2026**

1) थानाधिकारी, पुलिस थाना निहालगंज, जिला-धौलपुर की ओर से अभियुक्त पारस के विरूद्ध धारा 323, 341, 307, 34 भा.दं.सं. के आरोप में अभियोग पत्र विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण अनन्यतः इस न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के

PAYAL MANGAR
Stenographer-III
"Authenticated Document"
PAYAL MANGAR
2026.03.13 17:03:23 +0530

कारण विचारणार्थ इस न्यायालय को उपार्पित किये जाने पर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज किया गया है ।

2) प्रकरण के तथ्य संक्षिप्तः इस प्रकार से हैं कि परिवादी/प्रार्थी रसीद खांन ने पुलिस थाना निहालगंज, जिला धौलपुर पर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी की कि प्रार्थी अपने मुर्गी फार्म पर था, फार्म के पास ही अमल, पारस एवं अन्य दो लोग दिनांक 13.03.2023 को शाम 7.30 बजे पर मुर्गी फार्म पर शराब पीकर आए और मुर्गा देने के लिए कहा तो प्रार्थी ने कहा कि मुर्गा अभी नहीं है, मेरे छोटे बच्चे हैं, जिस पर अमन, पारस और उनके साथी गाली-गलौच करने लगे और मारपीट पर उतारु हो गए, प्रार्थी का छोटा भाई वकील खाना लेकर आ गया और प्रार्थी से आरोपीगण द्वारा की जा रही धक्का मुक्की एवं मारपीट रोकने लगा तो अमन और उसके सभी साथियों ने वकील पर हमला कर दिया और वकील के सिर में सरिया व डण्डे मारे, जिससे वकील के सिर पर गंभीर चोट आई और वकील को अस्पताल में भर्ती कराया है, सिर में गंभीर चोटें होने के कारण उसे जयपुर रैफर कर दिया गया आरोपीगण के द्वारा प्रार्थी और उसके भाई की मारपीट कर दाने के रखे 9000/- रुपये ले गए और प्रार्थी की मोटर साइकिल नंबरी आरजे 11 एसएन 6768 को तोड दिया, प्रार्थी और उसके भाई के शरीर पर मारपीट से गंभीर चोट आई है । आरोपीगण आदतन शराबी और अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, जो कि आए दिन वारदात करते रहते हैं.....आदि। जिस पर आरक्षी केन्द्र निहालगंज, धौलपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 109/2023 दर्ज कर बाद अनुसंधान उक्तानुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

3) इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त पारस के विरूद्ध धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 307 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप

PAYAL MANGAR
Stenographer-III
"Authenticated Document"
PAYAL MANGAR
2026.03.13 17:03:29 +0530

लगाये जाने का आदेश दिया गया व आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4) अभियोजन साक्ष्य में पी.डब्ल्यू.1 रामा,, पी.डब्ल्यू.2 रशीद, पी.डब्ल्यू.3 नरेश, पी.डब्ल्यू.4 जंडैल सिंह, पी.डब्ल्यू.5 जितेन्द्र के बयान लेखबद्ध कराये । प्रकरण में परिवादी व अन्य महत्वपूर्ण गवाहान के पक्षद्रोही रहने पर लोक अभियोजक द्वारा शेष गवाहान को तर्क कर साक्ष्य समाप्त की गई । दस्तावेजीय साक्ष्य में निम्न वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गयेः-

अभियोजन प्रदर्श	दस्तावेज
पी.1	तहरीरी रिपोर्ट
पी.2	चाक एफ.आई.आर.
पी.3	बयान 161 सीआरपीसी रशीद खान
पी.4	नक्शामौका घटनास्थल
पी.5	फर्द जप्ती मोटर साइकिल
पी.6	बयान 161 सीआरपीसी नरेश
पी.7	बयान 161 सीआरपीसी जंडैल सिंह
पी. 8	बयान 161 सीआरपीसी जितेन्द्र

5) अभियुक्तगण के विरुद्ध सारभान साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने से बयान मुल्जिम बनना नहीं पाए जाने से उनके बयान मुल्जिम नहीं लिए गए ।

6) बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7) इस प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न् यह है किः-

1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 13.03.2023 को शाम करीब 7.30 पीएम स्थान मुर्गी फार्म बघेल कॉलोनी, रेलवे लाइन के पास, जिला धौलपुर में

PAYAL MANGAR
Stenographer-III
"Authenticated Document"
PAYAL MANGAR
2026.03.13 17:03:35 +0530

परिवादी रशीद खां व वकील खां का सदोष अवरोध कारित कर उन्हें वांछित दिशा में जाने से निवारित किया तथा अभियुक्त ने अपने साथी विधि से संघर्षरत किशोर के साथ मिलकर सामान्य आशय से परिवादी रशीद खां व वकील की कुन्द हथियारों से स्वेछापूर्वक मारपीट कर साधारण उपहति कारित की और मजरुब वकील की कुन्द हथियारों से स्वेच्छयापूर्वक मारपीट कर उसके सिर में अस्थि भंग चोट कारित की, यदि इन चोटों से उसकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त उसकी हत्या का दोषी होता । इस प्रकार अभियुक्त पारस ने 341, 323 सपठित धारा 34, 307 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया?

यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा?

8) बहस के दौरान विद्वान लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये दस्तावेजीय साक्ष्य से अभियोजन ने अपने मामले को पूर्ण-रूपेण साबित किया है, अतः अभियुक्त को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों में दोषसिद्ध किया जावे।

9) विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का निवेदन है कि प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाहान पक्षद्रोही रहे हैं व अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करते हैं, पत्रावली में अभियुक्त को अपराध से जोडने बाबत कोई साक्ष्य नहीं है । अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की है ।

10) उभय पक्षों की बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रकरण में विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में विवेचन एवं निष्कर्ष निम्न प्रकार है:-

11) प्रकरण में परिवादी रशीद जो पी.डब्ल्यू. 2 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष कथन किए कि मेरे मुर्गी फॉर्म

PAYAL MANGAR
Stenographer-III
"Authenticated Document"
PAYAL MANGAR
2026.03.13 17:03:42 +0530

पर अमन एवं उसके साथ दो लडके और आए जो शराब पीए हुए थे । अमन के साथ दो अन्य और कौन लोग थे, उन्हें मैं नहीं जानता हूं । वकील के मारपीट में चोट आई थी । मैंने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी । मेरे सामने पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की । मेरा पुलिस में कोई बयान नहीं हुआ । मुल्जिम ने मेरे व मेरे भाई के साथ मारपीट नहीं की । उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया । जिरह में गवाह ने कथन किया कि उसका पुलिस में कोई बयान नहीं हुआ । वही गवाह पी.डब्ल्यू. 1 रामा ने घटना की ताईद नहीं की है । वही अन्य गवाहान पी.3 नरेश, पी.ड. 4 जंडैल सिंह, पी.ड.5 जितेन्द्र सभी पक्षद्रोही घोषित हुए है, उन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है ।

12) इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार प्रकरण में परिवादी व अन्य गवाहान पक्षद्रोही हो जाने के कारण परिवादी द्वारा दर्ज कराये गये पर्चा बयान प्रदर्श पी. 1 की पुष्टि नहीं हुई है । प्रकरण में अन्य समस्त गवाहान को अभियोजन द्वारा तर्क किया गया है । इस प्रकार पत्रावली पर अभियुक्त को अपराध से जोडने बाबत कोई ठोस साक्ष्य सामग्री पत्रावली पर नहीं है ।

13) इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचन से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323, 341, 307, 34 भा.दं.सं के अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष विफल रहा है। अतः अभियुक्त को उक्त आरोपित अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

-: आदेश :-

14) परिणामस्वरूप अभियुक्त **पारस पुत्र मुकेश उम्र 21 साल निवासी भमरौली हाल राधापुरम कोलोनी थाना निहालगंज, जिला धौलपुर (राज.)** को धारा **323, 341, 307, 34 भा.दं.सं. के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त**

PAYAL MANGAR
Stenographer-III
"Authenticated Document"
PAYAL MANGAR
2026.03.13 17:03:49 +0530

किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल उसके रजिस्टर्ड स्वामी को सुपुर्दगी पर दी हुई है जिसके संबंध में लिये गये सुपुदर्गीनामा-जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील निरस्त समझे जावें तथा वाहन सुपुर्ददार के पास रहे। अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत नियमित जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं ।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश, धौलपुर

15) यह निर्णय/आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश, धौलपुर

PAYAL MANGAR

Stenographer-III
"Authenticated Document"
PAYAL MANGAR
2026.03.13
17:03:56
+0530